राजस्थान
राजस्व (ग्रुप-

क्रमांक :- प.6(9)राज-6/96 पार्ट/22 दिनांक :- 22 नवम्बर 2005

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलेक्टर

परिपत्र

विषय :- स्थानीय निकायों के परिधीय क्षेत्रों में भूमियों का हस्तान्तरण

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 6(9)राज-6/96/99 दिनांक 29.7.2003 के सन्दर्भ में यह मार्ग-दर्शन चाहा गया है कि स्थानीय निकायों की अधिसूचित सीमा या स्वीकृत मास्टर प्लान की सीमा में स्थित समस्त बिलानाम सिवायचक भूमि को संबंधित स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण करने के निर्देश है परन्तु परिधीय क्षेत्रों का अंकन नहीं है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र केवल उस स्थानीय निकाय का अधिसूचित क्षेत्र है जिसमें परिधि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। परिधि क्षेत्र में केवल योजनाबद्ध विकास हेतू मास्टर प्लान या टाऊन प्लानिंग के दृष्टिकोण से कन्ट्रोल्ड बैल्ट है परन्तु कानूनन नगरीय क्षेत्र न होकर ग्रामीण क्षेत्र है। अतः उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र परिधीय क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय निकायों के परिधीय क्षेत्रों में 90 (बी) के संपरिवर्तन की कार्यवाही भी उस क्षेत्र के संबंधित सक्षम अधिकारी जैसे उपखण्ड अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा ही किया जाना है न कि स्थानीय निकायों के अधिकारी जिन्हे भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।

आदेश से,

22/11/05
शासन उप सचिव,
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रतिलिपि -
1. प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री

3. विशिष्ट , नगर विकास एवं स्थानीय निकाय मंत्री
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग / नगर विकास विभाग
5. शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग
6. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक, अजमेर
7. उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिपत्र की प्रतियाँ जयपुर विकास प्राधिकरण / सभी नगर विकास न्यासों को अपने स्तर से भिजवायें।
8. निदेशक, स्थानीय निकास विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिपत्र की प्रतियाँ अपने अधिनस्थ नगर निगमों / नगर परिषदों / नगर पालिकाओं को अपने स्तर से भिजवायें।
9. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर
10. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, अजमेर।

शासन उप सचिव